राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 54/2021

1. राजेश पुत्र नाथाराम जाति जाट निवासी निवासी ठिचौली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।

..........वादी

बनाम

1. सन्जू देवी पत्नी रोहितास जाति राजपुत निवासी ढाणी बाढान तहसील खेतडी।
2. बबीता शेखावत पत्नी रमेशसिंह जाति राजपुत निवासी ढाणी बाढान तहसील खेतडी।
3. चन्द्रकलां पत्नी राजपालसिंह जाति जाट निवासी तोताहेडी तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
4. दया देवी पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी सुकलावास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बुहाना,तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 07.03.2022

(1). वादी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क). कि वाके ग्राम ठिचौली तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 348 रकबा 0.60 है. में से वादी को वादी को रकबा 0.11 है. का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावें।

(2) दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से इकबालिये जबाव दावा प्रस्तुत किया जावे। प्रतिवादी संख्या 3, 4 के सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की इनके विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहिए क्योकि प्रतिवादी संख्या 3, 4 ने अपने हक हिस्से की भूमि वादी के पक्ष में विक्रय पत्र कर दिया गया है। अब प्रतिवादी संख्या 3, 4 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड नही है।

(3). वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78, विक्रय पत्र की प्रति पेश किए गए।

(4). बहस सुनी गई।

(5). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। दावा घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती का है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने वादी द्वारा चाहिये गये अनुतोष अनुसार वाद डिक्री किये जाने बाबत इकबालिये जबाव पेश कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:03:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादी डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके ग्राम ठिचौली तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 348 रकबा 0.60 है. में से रकबा 0.11 है. का वादी को खातेदार कास्तकार धोषित किया जाता है। उक्त रकबा 0.11 है भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में से कम किया जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 07-03-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:05:26 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारी:–

सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 54/2021
निर्णय दिनांक:– 07.03.2022

राजेश **बनाम** सन्जू देवी आदि

<u>दावा बाबत – घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती</u>

वादीगण की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की उपस्थिति में एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर इकबालिये प्रस्तुत करने में इस वाद में आज तारीख **07.03.2022** को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" **न्यायालय वाद वादी डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके ग्राम ठिचौली तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 348 रकबा 0.60 है. में से रकबा 0.11 है. का वादी को खातेदार कास्तकार धोषित किया जाता है। उक्त रकबा 0.11 है भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में से कम किया जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे।** "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 07.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.05.17 16:05:26 IST
Reason: SelfAttested